

**ew Mangalore Port Trust
Licensing of Stevedores)
Regulations, 2009**



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 27, 2012/आश्विन 5, 1934

No. 489]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2012/ASVINA 5, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 725(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा 1 के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास को प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार, उनके न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास(स्टीवडोर्स को लाइसेंस) विनियम, 2009 को संशोधन सहित अनुमोदित करती है।

[फा. सं. एलबी-13018/4/2005-एल-II]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली

सा का नि - महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विनियम बनाति है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

- (1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास (लाइसेंसिंग ऑफ स्टीवडोर्स) विनियम, 2009 कहा जाएगा ।
 (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (i) "अधिनियम" महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 अभिप्रेत है ;
 (ii) "मंडल" (बोर्ड) से अधिनियम के अंतर्गत गठित नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल अभिप्रेत है ;
 (iii) "अध्यक्ष" से पत्तन का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
 (iv) "प्रपत्र" (फार्म) से इन विनियमों के बारे में अनुलग्नित प्रपत्र अभिप्रेत है,
 (v) "स्टीवडोर्स" पत्तन में जहाज पर किसी रूम में माल का लादना व उतारना एवं नौभरण हेतु प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) है ।
 (vi) "यातायात प्रबंधक" से नव मंगलूर पत्तन न्यास का यातायात विभाग के प्रभार अधिकारी अभिप्रेत है और यातायात प्रबंधक के उप व सहायकों तथा यातायात प्रबंधक के अधीन कर्तव्यरत कोई अन्य अधिकारीगण शामिल है ।

3. कार्यक्षेत्र/जारी तिथि/स्टीवडोरिंग लाइसेंस का नवीकरण

स्टीवडोरिंग नीति में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी :-

- (i) पत्तन द्वारा लिया गया स्टीवडोरिंग ।
 (ii) लाइसेंसकृत स्टीवडोर द्वारा स्टीवडोरिंग
 (iii) लाइसेंस करार में बताने के अनुसार बीओटी टर्मिनल प्रचालक द्वारा स्टीवडोरिंग ।

(1) स्टीवडोरिंग में बोर्ड पर क्रियाकलाप कामगार, निर्यात हेतु कटिया बढ़ाना और आयात माल का कटिया से निकालना या जो भी पद्धति पत्तन में प्रचलित है शामिल कर सकता है।

(2) अध्यक्ष आवेदन करने पर तीन वर्षों की अवधि हेतु स्टीवडोरिंग लाइसेन्स जारी कर सकते हैं - किसी व्यक्ति को स्टीवडोर का कार्य करने हेतु पत्तन में पोतों के बीच अवतरण का कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड के अधीन या कब्जे में पत्तन व घाट, पोतघाट, जहाजी घाट या गोदी या पत्तन के अंदर पोतों के स्टीवडोरिंग में शामिल किया गया कोई अन्य कार्य।

1) पत्तन में अधिसूचना की तिथि से छः माहों की समाप्ति के बाद इन विनियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी लाइसेन्स के अलावा किसी पोत के किनारों पर कार्य करना अनुमत नहीं होगा।

यह लाइसेन्स का प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि हेतु वैध माना जाएगा।

लाइसेन्स को कनिष्ठतम गारंटीकृत निष्पादन/प्रति वर्ष 50,000 एम टी निर्धारित निष्पादन प्राप्त करने के आधार पर और समय-समय पर निर्धारित के अनुसार सर्वथा नवीकृत किया जाएगा।

यहाँ लाइसेन्स का कोई स्वचालित नवीकरण नहीं होगा। लाइसेन्स को, लाइसेन्स की समाप्ति के तीन महीने पहले लिखित आवेदन पर नवीकृत किया जाय।

4. स्टीवडोरिंग प्रभार :

स्टीवडोरिंग प्रभार, स्टीवडोरिंग सेवा हेतु प्रधान से स्टीवडोरिंग द्वारा लगाए जाते हैं जिसमें पत्तन का अदायोग्य प्रभार शामिल है। प्रधान से स्टीवडोर द्वारा एकत्रित प्रभार पार्टियों को मार्केट सामर्थ्य के अनुसार छोड़ा जाता है। यह प्रभार ट्रेज पर आधारित होगा और हाल में नियोजित पूर्णतया पूरक की मज़दूरी लागत को ध्यान में लेने द्वारा श्रमिक की प्रतिशतता पर नहीं, जो अंत में कम हो जा सकता है।

5. स्टीवडोर्स/स्टीवडोरिंग हेतु लाइसेन्स :

यदि फर्म निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करता है, को पत्तन द्वारा स्टीवडोरिंग लाइसेन्स जारी किया जाएगा।

(i) कंपनी अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी या फर्म या कोई अन्य विधिक सत्ता के अंतर्गत पंजीकृत संघटन हो।

(ii) सुरक्षा जमा राशि के स्वरूप में ₹5.00 लाख राशि की जमाराशि हो।

(iii) स्टीवडोर या मालिक का या किराये का कनिष्ठतम उपस्कर/गियर प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) स्टीवडोर्स कनिष्ठतम दो वर्ष की माल ढुलाई/स्टोरेज अनुभव सहित कम से कम 4 पर्यवेक्षी कार्मिक का नियोजन हेतु वचनयुद्ध होगा। उनकी विवरणिका आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

(v) लाइसेन्स का जारी नवीकरण हेतु शुल्क- लाइसेन्स की अवधि हेतु कनिष्ठतम ₹50,000 (पचास हजार मात्र) होगा जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और नव मंगलूर पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित किया जाय।

स्टीवडोर, या मालिक का या किराये का कनिष्ठतम उपस्कर/गियर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होगा ।

6. किए गए स्टीवडोरिंग कार्य का साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण :

साक्ष्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए बिना स्टीवडोरिंग हेतु लाइसेन्स मंजूर नहीं किया जाता है ।

(i) उसे समय-समय पर मंडल द्वारा रखे जाए विभिन्न माल संचालन के बनाए रखना/ आवक/ जावक नार्मस बनाए रखना है ।

(ii) यह कार्यकार-क्षतिपूर्ति अधिनियम 1925 के तहत मजूरी व क्षतिपूर्ति के बारे में मजदूर व नियुक्त कर्मचारियों के बाध्यताओं को पूरा करने हेतु उनके वित्तीय स्थिति है । फिलहाल मजदूर अधिनियम 1936 का भुगतान, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947; या किसी अन्य विधि प्रचलित है और रोकड या किसी अन्य स्वीकार्य सुरक्षा के रूप में ₹5.00 लाखों का जमा करना है जो लाइसेन्स का समापन/समाप्ति के बाद किसी ब्याज बिना वापसी/उन्मोघन किया जाएगा ।

(iii) क्षमतायुक्त स्टीवडोरिंग जिम्मेदारी हेतु मंडल द्वारा निर्धारित करने के अनुसार उसे अपनी रोजगार में ऐसी न्यूनतम कर्मचारी और उनके सामने ऐसी न्यूनतम उपस्कर होने का वचनबद्ध होना चाहिए और

(iv) उसे एक ₹5.00 लाख हेतु एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसी आकस्मिकताओं को सामना किया जा सके ।

टिप्पणी : लाइसेन्स की मंजूरी हेतु जहाज मालिक, जहाज प्रचालक, स्टीमर एजेन्ट्स और आयातक व निर्यातक भी अर्ह होंगे ।

7. नए स्टीवडोरिंग लाइसेन्स जारी करना:

नए स्टीवडोरिंग लाइसेन्स को स्थानीय दैनिक में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित करने के बाद जारी की जाएगी । ऐसी आवेदनों का विचार को विनियम के अनुसार समीक्षा की जाय । विधि व पत्तन विनियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए गए आवेदनों को हर एक व्यक्ति, जिन्होंने लाइसेन्स हेतु आवेदन करना चाहता है, को आवेदन प्रदान करना उद्देश्य है ।

8. स्टीवडोर का कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ :

पत्तन द्वारा जारी स्टीवडोरिंग लाइसेन्स का प्रचलन के दौरान निम्नलिखित मूल मानदंड को दृष्टि में रखते हुए, स्टीवडोरिंग लाइसेन्स विनियमों के अनुसार सुरक्षा व सफल संचालन सुनिश्चित करना हर एक स्टीवडोर में निम्नलिखित कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए ।

(क) ऐसी स्टीवडोरिंग प्रचालन हेतु भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम 1934, नियम 1962 सहित रोजगार अधिनियम 1948 का भारतीय श्रमिक-विनियम, गोदी श्रमिक(सुरक्षा, स्वास्थ्य व

कल्याण) योजना 1961 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जारी अधिसूचना, नियम 1975 सहित बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान और ऐसी स्टीवडोरिंग प्रचालन हेतु लागू नियम व विनियम योजनाओं की व्यवस्थाओं को लोडिंग व शिपिंग का प्रचालन के दौरान उनके द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी व मजदूरों प्राप्य अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(ख) वह अपना निजी उपस्करों के साथ प्रचालन वहन करना होगा।

(ग) उनके द्वारा उपयोग किए गए किसी उपस्करों का प्रयोग से किसी दुर्घटना या हानि हेतु वह अकेले जिम्मेदार होगा।

(घ) उनके द्वारा निष्पादनों से संबंधित सभी स्वीकृत सुरक्षा व्यवहार के साथ वह पालन करना होगा।

(ङ) उनके द्वारा निष्पादित प्रचालकों के बिना उदित सभी तीसरा पार्टी दावा के विरुद्ध वह पत्तन के क्षतिपूर्ति होगी।

(च) जब पत्तन ने अपनी किसी कर्मचारियों या मजदूरों या वर्कमेन्स क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का प्रावधानों के तहत उनके आश्रितों को भुगतान करता है और ऐसी कार्य हेतु स्टीवडोर या किसी कर्मचारी या स्टीवडोर्स द्वारा नियुक्त मजदूरों के लिए कार्य निष्पादन के दौरान, स्टीवडोर ने किसी रकम को वापस देना और उसी उद्देश्य हेतु वर्कमेन्स क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि बाध्यकारी के रूप में और मंडल व स्टीवडोर के बीच निष्कर्ष के रूप में लिया जाएगा।

(छ) ऐसी कियर प्रचालन के संदर्भ में पत्तन के किसी उपस्कर संयंत्र और अन्य संपत्ति को हानि हुआ तो, स्टीवडोर ने ऐसी क्षति या हानि को उपयुक्त जाँच के बाद अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य पत्तन को क्षतिपूर्ति करना होगा।

(ज) वह किसी विवाद या क्षतिपूर्ति का भुगतान में उसके या नव मंगलूर पत्तन न्यास के बीच में अंतर को मंडल द्वारा नामित विवाचक को भेजने के लिए सहमत होगा।

(झ) वह कम से कम एक अनुभवयुक्त व्यक्ति को हर एक जहाज में पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त करना जिम्मेदार होगा जिस संबंध में उन्होंने स्टीवडोरिंग प्रचालन का वचन लिया है।

(ञ) अध्यक्ष या यातायात प्रबंधक द्वारा पूछी गई किसी जानकारी को वह समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा।

(ट) वह सुनिश्चित करना होगा कि मंडल का सभी देय निश्चित तिथि पर दिया गया है, यदि न हो तो उसका लाइसेन्स नवीकरण नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन स्थगन/रद्द किया जा सकता है।

3682 92712-2

(ठ) सुरक्षा की अपेक्षाओं के साथ अधिकतम उत्पादकता संगत के लिए उनके द्वारा नियुक्त मजूदूरों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण के लिए प्रदान करना होगा।

(ड) वह उचित श्रेणी के कार्गो हेतु यथावत् परीक्षित सभी आवश्यक उपस्करों को प्रदान करना होगा।

(ढ) आवश्यक तापानुशीतन के साथ उपस्कार, संयंत्र और समय-समय पर या डाक सुरक्षा का उपनिदेशक या यातायात प्रबंधक द्वारा जब कभी माँग पर निरीक्षण हेतु परीक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

(ण) वह कार्गो के लिए मजूदूरों को पर्याप्त आवश्यक संरक्षक सुरक्षा उपकरणों का प्रदान करना होगा।

(त) वह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य क्षेत्र में शिफ्ट अवधि में अल्पावकाश घंटे को छोड़कर, पूर्णतया प्राप्त हो जाय और जब कभी आउटपुट सामान्य स्थिति से कम होने पर निष्पादन की वृद्धि हेतु प्रभावी कदम रखम होगा।

(थ) आनुषांगिक प्रचालन जैसे जहाजों का चढ़ने पर फिल्लिंग, स्टिचिंग, मालों का छूटना, मालों का स्टॉकिंग, मालों का स्टोरेज आदि हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना होगा।

(द) वह बचन देना होगा कि उनके द्वारा नियुक्त मजूदूरों को केन्द्र सरकार व पत्तन न्यास का संघशासन और गोदी मजूदूरों के बीच घटित मजूरी व्यवस्था के शर्तों के अनुसार मजूरी दिया जाय।

(ध) अध्यक्ष से लिखित रूप से अनुमोदन प्राप्त करके बिना किसी ब्याज या लाभ के तहत लाइसेन्स किसी अन्य व्यक्ति को नियत, स्थानांतरण नहीं करना चाहिए।

(न) सुरक्षा, संशोधित उत्पादकता और श्रमिक अनुशासन के हित में यातायात प्रबंधक द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी निदेशों का पालन करना होगा।

(प) पत्तन को अनुसूचित प्रभार अग्रिम रूप से भुगतान करना होगा।

9. नाम/संविधान आदि में बदलाव का सूचित किया जाय:

(1) स्टीवडोर एक फर्म या कंपनी है तो, निदेशक, प्रबंध निदेशक या भागीदारों में किसी बदली हुआ है तो ऐसी बदली का समर्थन में दस्तावेज की एक पूर्ति के साथ अध्यक्ष महोदय को तुरंत सूचित करना चाहिए।

(2) स्टीवडोरिंग लाइसेन्सयुक्त एक फर्म या कंपनी के नाम, शीर्षक या संविधान में बदली है तो अध्यक्ष को तुरंत सूचित करना चाहिए। फर्म या कंपनी ऐसी बदली करना है तो नए लाइसेन्स की मजूरी हेतु एक नए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए बशर्ते कि अध्यक्ष महोदय ने नए आवेदन पर निर्णय लेने तक ऐसी फर्म या कंपनी को व्यवहार करने अनुमति दी जाय।

10. लाइसेन्स की वैधता/नवीकरण

- (i) लाइसेंस तीन वर्षों की अवधि हेतु लाइसेंस जारी करने की तारीख से वैध होगा।
- (ii) लाइसेंस पिछले 3 वर्षों के दौरान आश्वस्त और समय समय पर निश्चित के अनुसार कनिष्ठतम गारंटी निष्पादन /प्रति वर्ष 50,000एमटी के विहित निष्पादन मानदंड प्राप्ति के आधार पर पूर्ण रूप से नवीकरण किया जाएगा।
- (iii) स्टीवडोर लाइसेन्स का नवीकरण हेतु पत्तन के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कम से कम लाइसेन्स की समाप्ति के तीन महीने पहले आवेदन किया जाएगा।
- (iv) यदि स्टीवडोर अपेक्षित शर्त को पूरा करते हैं और नवीकरण हेतु अर्ह है परंतु लाइसेन्स अवधि की समाप्ति के पहले सुरक्षा निकासी के लिए प्रतीक्षित है तो, पत्तन क्षतिपूर्ति बंध पत्र का निष्पादन पर स्टीवडोरिंग प्रचालन के लिए अनुमति दे सकता है।

11. जाँच लंबित लाइसेन्स निलंबित करने हेतु अध्यक्ष का अधिकार :

यातायात प्रबंधक, अध्यक्ष को स्टीवडोर द्वारा स्टीवडोरिंग लाइसेन्स की शर्तों का कोई उल्लंघन की रिपोर्ट करेगा और अध्यक्ष, यदि वह समीचीन और पत्तन के हित के लिए ऐसा करना आवश्यक पाया है तो, तीन महीने से कम अवधि हेतु स्टीवडोर को जारी लाइसेन्स निलंबित जाँच के आदेश की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अंदर लंबित जाँच कर सकता है।

12. लाइसेन्स का रद्दकरण/निलंबन :

- (क) पत्तन, किसी समय पर, लाइसेन्स की किसी शर्त के उल्लंघन हेतु या नीचे सूचित किसी कारणों के लिए स्टीवडोर हेतु जारी लाइसेन्स का निलंबन या रद्द करेगा जब :
 - (ख) स्टीवडोरिंग फर्म के सीईओ नैतिक अधमता एवं छः महीने से कम न हो के लिए और दंडादेशित और दंडादेश की समाप्ति की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि नहीं बीती गई हो के विषय में कैद से सम्मिलित किसी अपराध का न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करना।
 - (ग) फर्म पत्तन द्वारा निर्धारित के अनुसार कनिष्ठतम गारंटी निष्पादन/विहित मानदंड से कम संचालन करता है।
 - (घ) सुरक्षा विनियम व अनिवार्य गोदी सुरक्षा उपाय का उल्लंघन करना।
 - (ङ) अनुचित एवं असंरक्षित ढुलाई तरीके अपनाना।
 - (च) सामग्री तथ्यों का अन्यथा कथन या गलत बयानी।
 - (छ) न्यायनिर्णित दिवालिया या परिनिर्धारण बनना।
 - (ज) पत्तन में किसी कार्य हेतु बाधा का कारण बनजाना।
 - (झ) स्टीवडोरिंग प्रचालन या किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को लाइसेन्स का विषय अंतरण करना।
 - (ञ) सुरक्षा संबंधी नियमों व अनुदेशों जैसे आईएसपीएस कोड अनुपालन आदि का उल्लंघन करना।

- (ट) पत्तन की राय में कोई कदाचार ।
- (ठ) इस प्रकार के रद्दकरण या निलंबन वारंट ।
- (ड) अवैध/भ्रष्ट पद्धति संतुष्ट करना ।
- (ढ) सुरक्षा पूर्वोपाय का उल्लंघन करना ।
- (ण) निम्न उत्पादकता ।
- (त) स्टीवडोरिंग श्रमिकों पर पर्यवेक्षण का अभाव ।
- (थ) पैकेजों का अनुचित एवं असंरक्षित ढुलाई ।
- (द) पत्तन में स्टीवडोरिंग का प्रचालन में कोई भंग ।
- (ध) पत्तन में स्टीवडोरिंग प्रचालन हेतु लागू किसी सांविधिक प्रावधानों का गैर-अनुपालन ।

बशर्ते कि इस प्रकार लाइसेन्स रद्द या निलंबित नहीं होगा यथा स्थिति हो, जब तक लाइसेन्स धारक को उसका लाइसेन्स रद्द या निलंबित क्यों न किया जाय का कारण बताने के लिए उचित अवसर दिया जाता है जैसी स्थिति हो ।

13. अपील :

- (1) किसी व्यक्ति इन विनियम के अधीन लाइसेन्स देने या प्रदान करने के लिए इनकार करना या नवीकरण या लाइसेन्स नवीकरण करने के लिए इनकार करता है या लाइसेन्स का निलंबित करने पर अध्यक्ष के आदेश से असंतुष्ट है ता, केन्द्रीय सरकार को अपील किए गए आदेश की संसूचना के 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में अपील कर सकता है ।
- (2) केन्द्रीय सरकार अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु एक अवसर देने के बाद जो उपयुक्त लंगता है, अपील पर इस प्रकार का आदेश पारित करेगी ।
- (3) उप विनियम(1) में किसी समाविष्ट के होते हुए भी, यदि अपीलकर्ता केन्द्रीय सरकार को यह समाधान करेगा कि उसे ऐसी अवधि के अंदर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण है तो तीस दिनों की अवधि के बाद अपील करने के लिए अनुमति दी जाए ।

यातायात प्रबंधक

नव मंगलूर पत्तन न्यास

**MINISTRY OF SHIPPING
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2012

G. S.R. 725(E).— In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 124 read with Sub Section 1 of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the New Mangalore Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation, 2009 made by the Board of Trustees of New Mangalore Port in exercise of the powers conferred on them by Section 123 of the said Act, as detailed in the schedule annexed to this Notification.

[F. No. LB-13018/4/2005-L-II]

N. MURUGANANDAM; Jt. Secy.

**MINISTRY OF TRANSPORT
(Deptt of Surface Transport)**

(Ports Wing)

**NOTIFICATION
New Delhi**

G.S.R. - In exercise of powers conferred by section 126 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the New Mangalore Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulation 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions:- In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963;
- (ii) "Board" means the Board of Trustees of New Mangalore Port constituted under the Act;
- (iii) "Chairman" means Chairman of the Port;
- (iv) "Form" means form Annexed to these regulations.
- (v) "Stevedore" is an authorized agent for loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Ports.

- (vi) "Traffic Manager" means the officer for the time being in charge of Traffic Department of New Mangalore Port.

Trust and includes the deputies and assistants to the Traffic Manager and any other Officers acting under the authority of the Traffic Manager.

3. Scope/Period of Issue/Renewal of Stevedoring License

The Stevedoring Policy shall cover the following activities:-

- (i) Stevedoring undertaken by the Port.
- (ii) Stevedoring by the licensed stevedore
- (iii) Stevedoring by the BOT terminal operator as prescribed in the license agreement.

3683 97/12-8

(1) The Stevedoring may cover the activities on board involving workmen, extending to hooking for export (loading) cargo and unhooking of import (unloading) cargo or whatever practice prevalent in port.

(2) The Chairman may issue stevedoring license for a period of Three years; on application, to persons to act as stevedores at the Port to perform the work of landing and shipping of goods between vessels in the Port and the wharves, piers, quays or docks belonging to or in the possession of the Board and any other work involved in the stevedoring of vessels within the Port.

- 1) No Stevedore shall be allowed to work on board any vessels in the Port except under a license issued by the Chairman under these regulations after expiry of six months from the date of notification.

The license shall be valid for a period of 3 years from the date of issuance of license.

The license will be strictly renewed on the basis of achieving minimum guaranteed throughput/prescribed performance of 50,000 M.T per annum, and as fixed from time to time. There will not be any automatic renewal of the licence. Licence may be renewed on written application made three months prior to expiry of the licence.

4. Stevedoring Charges

The stevedoring charges are levied by Stevedores from the principals for the stevedoring services which include the charges payable to the Port. The charges to be collected by the stevedores from the principals should be left to the parties as per the market forces. The Charges will be on Tonnage basis and not on percentage of labour by taking into account the wage cost of full complement deployed presently which could be tapered off in the long run.

5. License for Stevedores/Stevedoring

Stevedoring licenses shall be issued by the Port, in case the firm fulfils the following criteria:

- (i) It shall be a company or firm registered under the Companies Act, 1952 or an establishment registered under any of other legal entity.
- (ii) Shall deposit an amount of Rs.5.00 lakhs as Security deposit.
- (iii) The Stevedores shall be liable to provide minimum equipment/gear either owned or hired.
- (iv) The Stevedores should undertake to employ at least 4 Supervisory personnel with minimum two years of cargo handling/stowage experience. Their profile have to be enclosed along with the application.
- (v) The fee for issue/renewal of license shall be minimum of Rs.50,000 (Fifty thousand only) for the period of the license which may be revised from time to time and be fixed by the New Mangalore Port Trust.

The Stevedores shall undertake to provide minimum equipment/gear either owned or hired.

6. Production of evidence of stevedoring work done.

No license for stevedoring shall be granted unless the applicant produces evidence for:

- (i) That he has maintained/would maintain the input/ output norms of handling different commodities as may be laid down by the Board from time to time
- (ii) That his financial standing to meet the obligations to the workers and staff employed on account of wage and compensation under the Workmen's Compensation Act, 1925, Payment of Wages Act, 1936, Industrial Disputes Act 1947, or any other law for the time being in force and makes a deposit of Rs. 5.00 Lakhs in cash or any other acceptable security which will be refunded/ discharged after the termination/expiry of the license without any interest.
- (iii) That he undertakes to have in his employment such minimum staff and have in his possession such minimum gear as may be prescribed by the Board for Undertaking stevedoring efficiently and
- (iv) That he shall also produce a Bank Guarantee for Rs.5.00 lakhs so as to meet any contingency.

NOTE: Vessel Owners, Vessel operators, Steamer agents and importers and exporters would also be eligible for grant of license.

7. Issue of new stevedoring License-

The new stevedoring license will be issued after inviting application by advertisement in the local daily. The consideration of such application may be reviewed in that regard shall be in accordance with the regulations. The purpose to provide every person who wishes to apply for a license on an opportunity to make an application to be considered by the Chairman in accordance with law, and Port Regulations.

7. Duties and responsibilities of stevedore:-

Every stevedore, shall be subject to the following duties, obligations and responsibilities during the currency of stevedoring license issued to them by the Port, to ensure safe and efficient handling as per Stevedoring license regulations, keeping in view of the following basic criteria :-

(a) He shall ensure due compliance by all the staff and the workers employed by him during the operation of landing and shipping or transshipping goods of work incidental thereto, of the provisions of the Indian Dock Laborers' Act, 1934, the Indian Dock workers Regulation, of Employment Act 1948, along with Rules, 1962, the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 and Notifications issued there under the Industrial Disputes Act, 1947, the Payment of Bonus Act 1965 with rules 1975 and other rules & regulation schemes applicable to such Stevedoring operations and for the time being in force and as per the Amendments in future.

(b) He shall carry out the operations with his own gear arranged by him;

(c) He shall be solely responsible for any accident or damage resulting from the use of any gear used by him;

(d) He shall comply with all accepted safe practices in relation to operations performed by him;

(e) He shall indemnify the Port against all third party claims arising out of operations performed by him;

(f) Whenever the Port has to pay compensations to any of its employees or workers or his dependents under the provisions of the Workmen's compensation Act 1923 and during the course of work performed for a stevedore or any employee or worker employed by the Stevedores for the such work, the stevedore shall reimburse the Port any sum so paid and for such purpose the amount of the compensation as determined under the Workmen's Compensation Act, 1923, shall be taken as binding and conclusive between the Board and the Stevedore;

(g) If any gear, Plant and other property of the Port is damaged in the course of any such operation, the stevedore shall compensate the Port for such loss or damage, extent of which shall be decided by the Chairman after carrying out a proper enquiry;

(h) He shall agree to refer any dispute or difference between him and the New Mangalore Port Trust as to the payment of compensation, its quantum or any connected question to an Arbitrator nominated by the Board;

(i) He shall be responsible to employ at least one experienced person to supervise in every vessel in respect of which he has under taken the stevedoring operations;

(j) He shall submit promptly any information asked for by the Chairman or the Traffic Manager, from time to time;

(k) He shall ensure that all the dues of the Board are paid on the appointed dates, failing which his licence shall not be renewable and be liable to suspension/ cancelled under these regulations;

(l) He shall provide for adequate supervision over the workers employed by him in order to ensure maximum productivity consistent with the requirements of safety.

(m) He shall provide all the necessary gear equipment duly tested for the respective type of cargo.

(n) He shall produce the gear, equipment with necessary annealing and test certificate for inspection periodically or

3683 5712-4

whenever demanded by the Dy. Director of Dock Safety, or the Traffic Manager.

- (o) He shall provide the workers necessary protective safety appliances appropriate for the type of cargo.
- (p) He shall ensure that the workers are available at the work site throughout the shift period, except during the recess hours and render the normal output and shall take effective steps to improve the performance whenever output falls below normal;
- (q) He shall make adequate arrangement for ancillary operations such as filling, stitching and breaking of cargo; stacking of cargo, stowage of cargo, etc on board the vessel;
- (r) He shall undertake to pay to workers engaged by him wages in accordance with the terms of wage settlement arrived at between the Central Government and the Federations of Port Trust and Dock Workers, from time to time.
- (s) He shall not assign, transfer or in any manner part with any interest or benefit in or under the license to any other person without the prior approval in writing to the Chairman;
- (t) He shall comply with such instructions as may be issued from time to time by the Traffic Manager in the interest of safety, improved productivity and labour discipline;
- (u) He shall pay scheduled charges to the Port in advance.

9. Change in name/constitution etc. to be communicated:-

- (1) Where the stevedore is a firm or a Company, it shall immediately communicate to the Chairman any change in the Director, Managing Director or partners, as the case may be, with a copy of the document in support of the such change.
- (2) Any change in the name, title or constitution of a firm or a company holding a stevedoring licence shall be communicated to the Chairman forthwith. The firm or Company undergoing such a change shall submit a fresh application for the grant of new license: provided that the Chairman may allow such firm or Company to carry on business till a decision is taken on such fresh application.

10. Validity / Renewal of license

- (i) The License will be valid for a period of three years from the date of issuance of Licence.
- (ii) The License will be strictly renewed on the basis of achieving minimum guaranteed throughout/prescribed performance parameters of 50,000 MT per annum assured during last 2 years and as fixed from time to time
- (iii) Application as per the prescribed proforma of the Port for renewal of Stevedores License shall be made at least three month before the expiry of the license.
- (iv) If the Stevedore fulfils the required conditions and is eligible for renewal but awaiting safety clearance before expiry of the license period, Port may permit the stevedoring operation on execution of an indemnity bond.

11. Power of Chairman to suspend a licence pending enquiry.

The Traffic Manager shall report any violation of terms and conditions of the stevedoring licence by the Stevedore to the Chairman and the Chairman may, pending enquiry, within a period of 60 days from the date of the order of enquiry suspend the licence issued to a Stevedore for a period not exceeding three months if he finds expedient and necessary to do so in the interest of the Port.

12. Cancellation/Suspension of Licence

- (a) The Port may at any time suspend or cancel the license issued to a Stevedore for violation of any of the terms of licence or for any reasons listed below when:
- (b) The CEO of the stevedoring firm has been convicted by the Court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence.

- (c) The firm handles less than the minimum guaranteed throughout / the prescribed parameters as fixed by the Port.
- (d) Violates safety regulations and mandatory Dock Safety measures.
- (e) Adopts improper and unsafe handling methods.
- (g) Misrepresents or misstates of material facts.
- (h) Adjudged insolvent or going into liquidation.
- (i) Causing obstruction to any work in the Port.
- (k) Transfers the stevedoring operations or subjects the license to any other individual or parties.
- (l) Violates security related rules & instructions like ISPS code compliance etc.
- (m) Any misconduct which in the opinion of the Port
- (n) warrant such cancellation or suspension:
- (o) Indulges in illegal/corrupt practices.
- (p) Violation of safety precautions.
- (q) Low productivity
- (r) Lack of supervision over stevedoring workers.
- (s) Improper and unsafe handling of packages.
- (t) Any breach in operation of the Stevedoring at the Port.
- (u) Non compliance of any statutory provisions applicable to Stevedoring operation at the Port.

Provided that no such licence shall be cancelled or suspended as the case may be until the holder of the licence has been given a reasonable opportunity for showing cause why his licence should not be cancelled or suspended as the case may be.

13. Appeal:-

- (1) Any person aggrieved by orders of the Chairman granting or refusing to grant a licence or renewing or refusing to renew a licence or suspending a license under these regulation may prefer an appeal in writing to the Central Government within 30 days of the communication of the orders appealed against.
- (2) The Central Government shall pass such orders on the appeal as it deems fit after giving an opportunity of being heard to the appellant.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an appeal may be admitted after the period of thirty days if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not making an application within such period.

Traffic Manager
New Mangalore Port Trust